उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-154/2015/1249/71-1-2015-ग-57/2002
लखनऊ : दिनांक 05 सितम्बर 2015
कार्यालय-ज्ञाप

डा0 राम दयाल रमन, सर्जन, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परतावल बाजार, महाराजगंज को सेवा स्थानान्तरण के आधार पर मेडिकल कालेज, गोरखपुर के सर्जरी विभाग में प्रवक्ता के पद पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2282/71-1-03-ग-57/2002, दिनॉक 04-08-2003 द्वारा 01 वर्ष अथवा लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए, तैनात किया गया था। अन्तिम बार डा0 राम दयाल रमन की सेवा स्थानान्तरण अवधि कार्यालय ज्ञाप संख्या-1708/71-1-14-ग-57/2002, दिनॉक 26-06-2014 द्वारा दिनॉक 04-08-2014 के पश्चात् एक वर्ष तक के लिए बढ़ायी गयी थी, जो दिनॉक 04-08-2015 को समाप्त हो गयी है। डा0 राम दयाल रमन को शासनादेश संख्या-5017/71-1-09-जी-258/09, दिनॉक 29-10-2009 द्वारा सहआचार्य के रूप में पदनामित किया गया है।

2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-एम0ई0-2/2015 /1108, दिनॉक 11-06-2015 पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय डा0 राम दयाल रमन, सहआचार्य (सेवा स्थानान्तरण), सर्जरी विभाग, मेडिकल कालेज, गोरखपुर की सेवा स्थानान्तरण अवधि दिनॉक 04-08-2015 के पश्चात् 01 वर्ष अथवा नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए बढ़ाये जाने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

राजकुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या:-154/2015/1249(1)/71-1-2015- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ।
3- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
6- कोषाधिकारी, गोरखपुर।
7- मुख्य चिकित्साधिकारी, महाराजगंज।
8- संबंधित चिकित्सा शिक्षक।
9- चिकित्सा अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।